राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस–नोट

दिनांक : 03.04.2026

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.04.2026 को एसएलपी विविध प्रार्थना–पत्र डायरी संख्या 19461/2026 सूरजमल मीना बनाम राजस्थान राज्य व अन्य (अंतर्गत एसएलपी (सिविल) संख्या 38278/2025) में सुनवाई कर उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2021 में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2025 में सम्मिलित करने के आदेश दिए गये थे, जिसके विरूद्ध आयोग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 02.04.2026 को ही प्रार्थना–पत्र दायर किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 03.04.2026 को पूर्व में दिए गए आदेश को संशोधित करते हुए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने वाले याचियों को ही उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2025 में सम्मिलित करने के आदेश पारित किये है।

अतः उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2025 का आयोजन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ही दिनांक 05.04.2026 एवं 06.04.2026 को किया जा रहा है।

(रामनिवास मेहता)
सचिव